MR. CHAIRMAN: I think with the permission of the House, we will take up the Private Members' Business. As there is a very heavy agenda my suggestion is, if you all agree, that we will conclude the Private Members' Business at 3.30 p.m. and take up the official business after that.

SOME HON. MEMBERS: Sir, make it till 4.00 o'clock.

MR. CHAIRMAN: So, we conclude the Private Members' Business at 4.00 o'clock.

—•—

The Deputy Chairman in the Chair]

RESOLUTION RE. NEED FOR MEASURES TO COMBAT EVILS IN THE PRESENT ELECTORAL SYSTEM —Contd.

श्री सैयद सिब्ते रजी (उत्तर प्रदेश) : डिप्टी चैयरमैन साहिबा पिछले दिन जब मेरे प्रस्ताव पर चर्चा शुरु हुई थी तो मैंने चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा था कि हमने अपने मुल्क के निजाम, सियासी निजाम हुकुमत और प्रशासन के तरीके को जमूरियत के रास्ते पर ले चलने का फैसला किया। लोकतंत्र ही हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बना। इसके लिए हमने संविधान सभा के अंदर, कांस्ट्रीट्यूएंट एसेम्बली के अंदर काफी बातचीत की और जवाहर लाल जी के उस सपने को, जो भारत की आजादी के बाद भारत को लोकतंत्र के रास्ते पर चलने का था, जवाहर लाल नेहरू, देश के प्रथम प्रधान मंत्री के नेतृत्व में, उनके साथियों और उनके सह-योगियों के परिश्रम से एक ऐसा संविधान बना जिस में हम ने वोट को मौलिक अधिकार बनाया और हर व्यक्ति को चाहे वह किसी भी वर्ण का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, किसी धर्म किसी अकीज पर चलने वाला हो गरीब या अमीर, लखपति हो, करोड़पति हो, खरबपति हो गरीब हो, दरिद्र हो सब को समान अधिकार दिए और यह भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ा लैंडमाक बना।

इसके पीछे जो हमारा विचार था लोकतंत्र और संसदीय प्रणाली के जरिए इस देश की व्यवस्था को आगे ले चलने का वह भारत की जो हमारी पुरानी सभ्यता हमारी संस्कृति हमारा कल्चर हमारी सकाफत हमारी तहजीब हमारा तमद्दुन, वह जो हजारों साल के वक्त में सांचों में ढल कर भारत बना था उस सब को पसेंमंजर रखते हुए इस बात का फैसला किया गया —

सर जमीने हिंद पर अक्वामे आलम के चराग,
काफिले आते गये, हिंदोस्तां बनता गया।

कोई विकल्प नहीं था कि आजादी के बाद हम किसी और रास्ते पर चलते सिवाये जम्हूरियत के रास्ते पर लोकतंत्र के रास्ते पर चलने के क्योंकि यही एक ऐसा रास्ता था और आज भी है जो हमारे देश को एक रख सकता है। एक ऐसा देश जिसमें विभिन्न भाषायें हों विभिन्न जाति के लोग रहते हों विभिन्न धर्म के मानने वाले रहते हों उनकी अपनी संस्कृति हों, उनकी अपनी जुबानें हों, उनके अपने रहन-सहन उठने-बैठने का, उनकी जिंदगी के अपने उसूल हों, उन सब अनेकताओं में एकता को बना कर रखने का सिवायें लोकतंत्र के और कोई चारा नहीं था और इसीलिए भारत को शक्ति मिले, लोगों का समर्पण और डेडिकेशन, भारत की उन्नति के बारे में भारत की प्रगति के प्रति भारत की ए ता के प्रति भारत के इतिहास के प्रति, जन-जन के अंदर जागृत हुई और देश के किसान, देश के मजदूर, देश के सर्वहारा वर्ग, देश के उद्योगपति, देश के कृषि के क्षेत्र में काम करने वाले साइंटिस्ट और विज्ञानकारों और विभिन्न इंजीनियर्ज साबने मिल कर आजादी के बाद भारत का जब नया इतिहास लिखा, तो वह बड़ा गौरवमय इतिहास बना।

42 साल की प्रगति यदि हम देखें, इसी लोकतंत्र के माध्यम से देखें, लोकतंत्र की प्रणाली के माध्यम से, तो हमारा देश कृषि के मामले में आत्म-निर्भर हुआ, औद्योगिक क्षेत्र में हम दुनिया के मुल्कों में दसवीं श्रेणी पर आकर खड़े हुए हैं।

हमने स्पेस पर तजुर्बा किया और दुनिया की जो छह बड़ी ताकतों के बराबर हम जाकर खड़े हुए। हमने एटम का शांतिमय ढंग से प्रयोग किये जाने के लिए तजुर्बा किया। दुनिया की जो पांच-छह बड़ी ताकतें थीं, उनके बराबर जाकर हम खड़े हुए।

इतने बड़े देश को लोकतंत्र ने ही जोड़ कर रखा है। 32 करोड़ से भी ज्यादा स्कुअर किलोमीटर में लम्बा-चौड़ा, फैला हुआ यह देश जिसमें कहीं जंगल हैं, कहीं दरिया हैं, कहीं समुद्र है, कहीं पहाड़ है, विभिन्न जलवायु हैं, यदि दक्षिण भारत में जाएं तो दूसरी जलवायु है उत्तर भारत में आएं तो दूसरी जलवायु है रंग अलग है बोलने के तरीके अलग हैं हमारी जिंदगी के रहन-सहन के तरीके अलग हैं। इन सब को जोड़ कर रखने का एक मात्र साधन जो था वह हमारी लोकतांत्रिक प्रथायें थीं और वह सदैव भावना थी और वह सदा भावना थी जो कंस्टीट्युएंट असेंबली में जब हरलाल नेहरू ने भारत के प्रधान मंत्री के रूप में बारह बजे रात को इसी हमारे सेंट्रल हाल के अंदर कुछ इस तरह से कहा था जिसको मैं अपने शब्दों उद्धृत करना चाहूंगा—

"वर्षों पहले हमने नियति से एक वादा किया था और आज उस वादे को पूरी तरह से तो नहीं लेकिन बहुत हद तक पूरा करने का वक्त आ गया है। आज बारह बजे रात जब सारी दुनिया सोती होगी तब भारत स्वतंत्रता और आजादी के साथ जाग उठेगा इतिहास में ऐसे दिन आते हैं लेकिन कभी-कभी जब एक युग की समाप्ति होती है और हम एक नये युग में कदम रखते हैं। आज कुछ ऐसी स्थिति है कि एक युग की समाप्ति हुई है एक नया युग प्रारम्भ हुआ है और बरसों सदियों से हमारे देश की जो चिरआत्मा थी: जो दबी हुई थी वह मुखरित हो उठी है। ऐसे अवसर पर हम भारत के लिए भारत के लोगों के लिए और इससे भी बढ़कर दुनिया के लोगों के लिए आवाम के लिए मानवता के लिए अपने को उनकी सेवा में समर्पित करने का संकल्प लें।"

इतिहास इस बात का साक्षी है कि बहुत सारे सवालात उठ कर आकर खड़े हुए कि क्या लोकतंत्र, संसदीय प्रणाली इस देश में कामयाब होगी या नहीं? क्योंकि यह देश बहुत दिनों तक गुलाम रहा है, यहां पर राजा-महाराजाओं, जागीरदारों, जमींदारों का निजाम रहा है। क्या यह मुमकिन हो पाएगा कि जब 500 से ज्यादा रियासतें अभी भी आजाद हैं जब भारत अंग्रेजों ने छोड़ा तो क्या संसदीय प्रणाली यहां कामयाब हो पाएगी लोकतंत्र यहां कामयाब हो पाएगा? लेकिन अब तक का इतिहास यदि हम देखें तो लोकतंत्र एक ऐसा जरिया हमको मिला जिसके जरिए हमने बहुत सारी समस्याओं को एक समय में बहुत सारी चुनौतियों को एक समय में बहुत सारे जज्बात का अक्स जो लोगों के मूवमेंट में लोगों के आन्दोलन के जरिए हमको देखने को मिला उसको समझकर हमने अपना रास्ता बनाने की कोशिश की और आज यदि हम सोवियत यूनियन में देखें या चाहे पेरेस्ट्रोएका की बात चल रही है चाहे ग्लेनासंस्ट की बात चल रही है, चाहे यूरोप के बहुत सारे कम्यूनिस्ट देशों की स्थिति देखें, आज रोमानिया में क्या हुआ चैकोस्लोवाकिया में क्या हुआ वैस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी किस तरह से आज मिल रहे हैं तो उससे पता चलता है कि हमारे संविधान के निर्माताओं ने हमारी आजादी की लड़ाई लड़ने वालों ने बड़ी दूर-अंदेशी से काम किया और लोकतंत्र को बुनियादी ढांचा बनाने का पूरा प्रयास किया नीचे से लेकर ऊपर तक और दुनिया को यह बताया कि हमारे जैसे देश के लिए लोकतंत्र और संसदीय प्रणाली के अलावा कोई और रास्ता नहीं है जिसपर हम अपने देश को लेकर आगे चल सकें। कोई भी डेमोक्रेटिक सिस्टम हो, चाहे वह यू०एस० ए० का हो या यूनाइटेड किंगडम का हो या और किसी देश का जहां-जहां लोकतंत्र है गणतंत्र है वहां कुछ न कुछ समस्यायें जरूर हैं। आज यूनाइटेड स्टेट्स में अगर आप देखें वहां भी समस्या है यदि यूनाइटेड किंगडम को देखें तो वहां भी समस्या है। कोई भी सिस्टम अपने में खुद खराब नहीं हुआ करता, हम उस प्रक्रिया को किस तरह से चलाते हैं उस

[श्री सैयद सिब्ते रजी]

प्रक्रिया में हमारा हृदय से कितना विश्वास है, यह बात ज्यादा महत्वपूर्ण हुआ करती है और समय-समय पर हम अपने चारों तरफ, अपने अतराफ में, अपने चारों तरफ होने वाले हादसात को देखें, समझें और अपना खुद का पुनरीक्षण करें कि हमसे कहां पर गलती हुई है कहां पर देश के इस लोकतांत्रिक ढांचे के अंदर कमजोरी आई है और हम उसको किस तरह से दुरुस्त कर सकते हैं ? जब मैं यह प्रस्ताव यहां रख रहा हूं तो मैं किसी पार्टी या संगठन की परिधि में इसको नहीं रखना चाहता।

आज लोकतंत्र के सामने बहुत सारे सवालात आकर खड़े हुए हैं। क्या लोकतंत्र का जो बुनियादी मकसद है वह हमारे सामने है, या हमारी आंखों से ओझल हो गया है ? आज हमें यह देखना पड़ेगा कि क्या वह बुनियादी मकसद लोगों की भावनाओं, लोगों का इन्वाल्वमेंट, लोगों का समर्पण और सबसे महत्वपूर्ण लोकतंत्र में जो अनुशासन होता हैं, डिसिप्लिन होता है, वह पूरी तरह से हमारी इस प्रणाली में है या कहीं-कहीं पर यह खतम होता दिखाई देता है ?

हम यदि अपने स्वतंत्रता के आंदोलन की तरफ दोबारा निगाह डालें तो हम देखेंगे कि गांधी जी के नेतृत्व में हमने एक आंदोलन चलाया आज़ादी का और उस आंदोलन में हमारे समाज के जो विभिन्न वर्ग हैं– ऊंचे, नीचे, छोटे, बड़े, विभिन्न जातियों, विभिन्न धर्मों, मुख्तलिफ मज़हबों के लोगों ने एक साथ उस आंदोलन में था भाग लेकर एक जिम्मेदारी का परिचय दिया और जो कांग्रेस का आंदोलन वह राष्ट्रीय आंदोलन बना। गांधीजी ने कहा था :

There is no privilege without a corresponding obligation. There is no right without a corresponding duty.

नेहरू जी ने एक बार कहा था :

I quote: "That parliamentary democracy demands many virtues. It demands ability. it demands devotion to work, but it demands also a large measure of cooperation, of self-discipline of restraint."

विन्सटन चर्चिल ने भी एक बार इसी से संबंधित बात कही थी :

"That of all the forms of Government, parliamentary democracy is the most fragile and the most difficult; yet no better system has been devised, by man."

अब अगर हम पिछले अपने चुनावों का इतिहास देखें, अभी हमने अपनी नवीं लोकसभा के लिए अपने प्रतिनिधि चुने और अगर हम दिल की गहराइयों में डूबकर देखें तो यकीनी तौर पर हमें ऐसा महसूस होगा कि सन् 1952 के इलेक्शन से लेकर सन् 1989 के लोकसभा चुनाव तक और सन् 1989 के बाद सन् 1990 के विधानसभा चुनावों तक हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों में और हमारे तामीरी काम में काफी गिरावट आई है, काफी ह्रास हुआ है। मेरे कहने का यह अभिप्राय नहीं है कि इस ह्रास के कारणवश हमारे लोकतंत्र का भविष्य धूमिल है या अंधकारमय है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहता लेकिन जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं, यह कोई बहुत अच्छा रास्ता नहीं है और एक ऐसी मंजिल आ सकती है जो एक खतरनाक स्थिति का द्योतिक बन सकती है।

इसीलिए हमें अपने इस लोकतंत्र को जिंदा रखने के आंदोलन को भी बिल्कुल उसी तरह से चलाना होगा जिस तरह से हमने अपनी आज़ादी का आंदोलन चलाया था क्योंकि आज़ादी हासिल करना एक काम हुआ करता है, एक मंज़िल पर पहुंचना हुआ करता है लेकिन आज की इस बदलती हुई दुनिया के परिवेश में आज़ादी को कायम रखना एक दुश्वार गुज़ार काम भी हो सकता है। इसलिए इस चीज को हमें मद्देनज़र रखना होगा क्योंकि जब मैं अपने इस लोकतांत्रिक आंदोलन को, जिसे अभी बरसों चलना है, आजादी के आंदोलन से जोड़ने की बात करता हूं तो मेरा मकसद, मेरा अभिप्राय यह होता है कि आज़ाद जब हमने हासिल करनी चाही थी और जिसके लिए हमने आज़ादी बहाल की थी, उसका अभिप्राय, उसका मकसद सिर्फ यह नहीं था कि हमें राजनीतिक आज़ादी हासिल करनी है बल्कि हमारा मकसद था कि हमें सियासी आज़ादी के साथ-साथ माशी

आज़ादी भी हासिल करनी होगी, आर्थिक स्वावलंबन भी अपने मुल्क में लाना होगा और एक ऐसा निज़ाम बनाना होगा जो निज़ाम न्याय पर आधारित हो, सामाजिक न्याय पर आधारित हो ।

हमने आशाएं की थीं, हमने आकांक्षाएं की थीं, हमने उम्मीदें की थीं, हमने तमन्नाएं की थीं, हमने उम्मीदों के बहुत सारे चिराग जलाए थे, वह आज भी जल रहे हैं । इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले 40–42 सालों के अंदर देश में प्रगति हुई है लेकिन जब हम अपने चुनावों की प्रक्रिया की तरफ निगाह डालते हैं तो कहीं-कहीं हमें अपनी उम्मीदों के चिराग गुल होते हुए, बुझते हुए दिखाई देते हैं क्योंकि कहीं-कहीं ऐसा लगता है कि कुछ सामंतवादी प्रवृत्ति के लोग, कुछ ताल्लुकेदारी, जमींदारी, जागीरदारी निज़ाम में विश्वास रखने वाले लोग ताकत का इलेक्शन में इस्तेमाल करके दोबारा हमारी उस प्रक्रिया को पलट देना चाहते हैं जिसके लिए हमने कई सालों तक संघर्ष किया था ।

इसके लिए हमने कई सालों तक संघर्ष किया था और 42 साल तक हमने वट वृक्ष के रूप में बढ़ाने की कोशिश की थी। 49 करोड़ लोगों ने 9वीं लोकसभा के चुनावों में हिस्सा लिया और इसमें शक नहीं कि जनता की इच्छाओं का उससे अंदाजा हुआ और जो हमने वैल्यूज़ बनाई थी, देश की जनता के फैसले के सामने जो हकूमत थी उसने सत्ता का हस्तांतरण बहुत ही शोभायमान ढंग से किया। ग्रेसफुल तरीके से किया । लेकिन इसी के साथ-साथ कई जगहों पर चुनावों में बड़ी धांधलियां हुईं, बूथ कैप्चरिंग हुई, जबरदस्ती बूथों पर कब्जा किया गया और बुनियादी तौर पर कमजोर तबके के लोगों को वोट डालने से रोका गया । हिंसा की नई प्रवृत्ति हमारे चुनावों के दरमियान देखने को मिली । सन् 1989 में चुनावों में लगभग 130 लोग मारे गए । यह एक बहुत भयंकर स्थिति है लोकतंत्र की इस व्यवस्था के अंदर। यदि जान और माल का डर लोगों में खड़ा हो जाएगा तो किस प्रकार से मतदाता अपने घर से वोट डालने निकलेगा और अगर एक भी मतदाता डर के कारण, भय के कारण, दबाव के कारण, प्रैशर के कारण वोट डालने नहीं निकलता या उससे हिचकता है तो इसका मतलब यह है कि कहीं न कहीं हमारे सिस्टम में, हमारे निज़ाम के अंदर, हमारी प्रक्रिया के अंदर घुन लग रहा है और हमें समय रहते इस बीमारी को, जो शुरू हो रही है उसको रोकने का प्रयास करना होगा और यदि पिछली आठ विधान सभाओं के चुनावों के नतीजे हम देखें तो सिर्फ 1990 में 80–82 मौतें हुई और लगभग 300 लोग घायल हुए। शायद ही कोई प्रदेश रहा हो जहां इस प्रकार की हिंसा और मौतें न हुई हों, चाहे वह आंध्र प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, त्रिपुरा हो, वैस्ट बंगाल हो, जम्मू कश्मीर हो या तमिलनाडु हो । हमने यह भी देखा कि रुपए का बहुत गलत तरीके से, वोट खरीदने के लिए या वोटर को प्रभावित करने के लिए प्रयोग किया गया है । बाहुबल का प्रयोग किया गया है, जिसे मसल पावर कहते हैं और बहुत जगहों पर जनता की जो मूल भावना रही है, इच्छा है उसे व्यक्त करने से रोका गया । इस प्रकार जो हमारा मौलिक अधिकार संविधान में वोट डालने का है, उस अधिकार का हनन हुआ। लोक सभा के चुनाव के बाद हमारे टेलीविजन पर एक फिल्म दिखाई गई, मान्यवर, वह आपने भी देखी होगी । उसमें दिखाया गया कि किस प्रकार से बूथ कैप्चरिंग होती है, किस तरह से अमीर लोग भाड़े के बदमाशों और गुंडों को किराए पर लेकर उनसे बूथ कैप्चरिंग कराते हैं और किस प्रकार से उनके रुपये और उनके हथियारों की और तरह-तरह के औजारों की व्यवस्था की गई । अफसोस इस बात का है कि कहीं कहीं राजनीतिक कार्यकर्ता यह कहते सुने गए कि यदि हम बूथ कैप्चर नहीं करेंगे तो दूसरी पार्टी वाले बूथ कैप्चर कर लेंगे । इससे अच्छा है कि दूसरी पार्टी के लोग बूथ कैप्चरिंग न कर लें, इसलिए हम ही कर लें । इस प्रकार का जेहन पैदा हुआ है, एक

[श्री सैय्यद सिब्ते रज़ी]

खतरनाक रुझान पैदा हो रहा है, हमारी राजनीति के अंदर। जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि किस प्रकार से मतदान केन्द्रों पर जबरदस्ती कब्जा करने की प्रवृत्ति शुरू हुई, यह केवल राजनीतिक प्रश्न ही नहीं है, यह प्रश्न हमारे सोशल सिस्टम से जुड़ा हुआ है। एक सामाजिक प्रश्न भी है, क्योंकि केवल सत्ता में आने के लिए ही नहीं बल्कि अपनी जातिवाद का भ्रम बनाये रखने के लिए कहीं-कहीं पर बूथ कैप्चरिंग की गयी और की जाती है कि इस जाति का आदमी चुनाव जीत नहीं पाये और फलां जाति का आदमी जीत जाये किसी भी तरीके से और जो वर्चस्व है, जो आधिपत्य है वह जाति के ऊपर बना रहे। यदि दुनिया के किसी कोने में कहीं भी जातिवाद, नस्ल और रंग की बुनियाद पर कोई फर्क की बात होती है तो हम उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। आज एक प्रिस्टेज सिंबल बन गया है कि किस प्रकार से हम इन गलत तरीकों से चुनाव जीत सकते हैं, इसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। अफसोस की बात है कि बिहार के अन्दर कई जगह चुनाव में गलत तरीकों से बूथ कैप्चरिंग कराकर बच्चों और बालकों तक का प्रयोग किया जाता है और टिकट उन लोगों को दिये गये, जैसा कि यहां विदाई समारोह में हमारे एक सदस्य ने कहा कि एक समय आ जायेगा जब शायद हम हथिया बंद लोगों को ही टिकट देने में वरियता देंगे।

इस प्रकार से आज अपने मट्रोपोलिटिन सिटीज की यह हालत देखिये, जिला परिषदों की हालत देखिए मान्यवर, आप जानते हैं, शहरों की महापालिकाओं की हालत आप देखें, वहां कौन लोग आकर बैठ गये हैं, माफिया गैंग के लोग, बड़े-बड़े असलहा और बड़े नाजायज काम करने वाले लोग। आज यह सवाल पूरे देश का सवाल है। हो सकता है कि किसी भी दल से हमारे कोई मतभेद हों, हमारा अपना कोई झगड़ा हो लेकिन राष्ट्र का हित, देश का हित, लोकतंत्र का हित इन तमाम आपसी मतभेदों से बहुत ऊंचा हुआ करता है। आज जब इस प्रकार की बातचीत होती है, बहसमुबाहसे होते हैं तो बहुत सारे लोग इल्जाम लगाते हैं कि तुमने ऐसा किया तो हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया तो तुमने ऐसा किया। आज इल्जाम तराशी के अंदाज को हमें छोड़कर, सरों को जोड़कर बैठना होगा और यह समझना होगा कि लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी चाहे वह विरोध पक्ष हो, चाहे वह सत्ता पक्ष हो, दोनों की है और यदि किसी पक्ष ने भी अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया तो भारत की आने वाली नस्ल जम्हूरी निजाम को बरबाद करने की सारी जिम्मेदारी आज की हमारी और आपकी मौजूदा नस्ल पर डालेगी।

बहुत सारे सुझाव हैं मेरे पास। आज किस प्रकार से हम बूथ कैप्चरिंग को रोकें, किस प्रकार से हम जो रेगिंग होती है, गलत तरीके से वोट डाले जाते हैं, उनको हम किस तरह से रोकें। आज हमें सोचना होगा कि हम क्या परिचय पत्र जारी करें अपने वोटर्स को। निश्चित तौर पर पूर्ण रूप से अपने में यह एक हल नहीं है, लेकिन एक रास्ता जरूर है। लेकिन इसी के साथ-साथ आज जिस प्रकार से बहुत सारे सवाल उठ खड़े होते हैं, जैसे असम में एक मूवमेंट चला सैंस आफ सायल का। बहुत सारे गरीब लोग, बेसहारा लोग यदि वे अपने आइडेंटिटी कार्ड चुनाव के लिये, जो मल्टीपर्पज कार्ड की बात आती है, नहीं बनवा सके तो कहीं-कहीं सवाल उठता है कि कहीं उनकी शहरियत को ही चुनौती न दे दी जाये। आज आसाम में हजारों-लोगों की हरियत के बारे में सवाल उठाये जा रहे हैं कि वे भारत के शहरी हैं भी या नहीं। तो कोई भी सिस्टम या कोई भी तरीका लागू करने से पहले हमें उस पर विचार-विमर्श करना होगा। मुझे मालूम है कि हमारा न्याय मंत्रालय परिचय पत्र जारी करने के संबंध में सोच रहा है। लेकिन केवल परिचय पत्र जारी करके ही मैं समझता हूं कि हम अपने इस दायित्व से मुबर्रा नहीं हो पायेंगे। सबसे बड़ा सवाल इलेक्शन में धांधली करने वाले और इलेक्शन में किस प्रकार से गलत तरीके से लोग जाति का प्रयोग करके, धन का प्रयोग करके, शक्ति का प्रयोग करके, मसल

पावर का प्रयोग करके, धर्म और जाति की राजनीति करके इलेक्शन जीत लेते हैं, उनके खिलाफ चुनाव पिटीशन दाखिल किये जाते हैं। पांच साल के लिए चुनाव होता है और पांच-पांच, छः-छः साल तक इलेक्शन पिटीशन पैंडिंग पड़े रहते हैं, उन पर कोई फैसला नहीं होता। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इलेक्शन कमीशन को इस प्रकार का सुझाव भेजे और अपनी तरफ से पूरी मदद करे। इसके लिए स्पेशल इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनायें जायें और हर शिकायत का, हर इलेक्शन पैंटीशन का मामला तीन महीने के अंदर निपटा दिया जाए तो शायद यह संभव हो पायेगा कि गलत तरीके से चुनाव जीत कर आने वाले को यह पता लगेगा कि एक बार चुनाव जीत कर ज्यादा लम्बे अरसे तक, जिस सदन के लिए वह चुना गया है, वहां पर नहीं रह पायेगा। बहुत सी चीजें इम्प्रेक्टीबल हो गई हैं। विधान सभा का चुनाव लड़े जाने के लिए जो आर्थिक सीमा रखी गई है, सब जानते हैं कि बहुत कम है। लोक सभा के चुनाव के लिए जो आर्थिक सीमा रखी गयी है, सब जानते हैं कि बहुत कम है। उसके साथ अखराजात होते हैं। जो वास्तविकतायें हैं उनको समझने का प्रयास करना चाहिए। हमें दुबारा इस पर सोचना चाहिए कि इस बढ़ती हुई महंगाई के अन्दर इस अखराजात के अंदर आज इलेक्शन कोस्टली अफेयर हो गया है, हम किस प्रकार इस को बढ़ा सकते हैं और इस खच की सीमा को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं।

इलेक्ट्रोनिक मशीन प्रयोग करने का समय आ गया है। पिछली सरकार ने इस संबंध में कुछ शुरुआत की थी। मैं समझता हूं बूथ कैप्चरिंग के चांसेज इस प्रकार से बहुत कम किये जा सकते हैं, बिल्कुल समाप्त तो नहीं किये जा सकते। क्योंकि जो लाकिंग सिस्टम है उससे गलत तरीके से जो वोट डाल दिये जाते हैं उस पर रुकावट लगाई जा सकती है। आज देश में 37–38 परसेंट लोग पढ़े-लिखे हैं। हम यह मानते हैं कि हमारे देश के लोग काफी परिपक्व हैं। लोकतंत्र के प्रति उनका मिजाज काफी बन चुका है। लेकिन इसके बावजूद अगर हम उन प्रदेशों की तुलना करें जहां हमारी साक्षरता ज्यादा है, तालीम याफ्ता लोग ज्यादा है उनसे जहां साक्षरता की दर कम है तो जहां साक्षरता की दर कम है वहां पर माल प्रेक्टिसेज और इस प्रकार की शिकायतें काफी ज्यादा उठती हैं। लोगों का रजिस्टेंस उसके खिलाफ नहीं बन पा रहा है और जो लोग रेजिस्ट करना चाहते हैं वह या तो कहीं लाठी के शिकार होते हैं या गोली के शिकार होते हैं। इस प्रकार से हमें ऐसे लोगों के लिए रेजिस्टेंस का एक माहौल बनाना होगा ऐसे जो असामाजिक तत्व हैं जो इलेक्शन को अपने निहित स्वार्थ के लिए प्रयोग करना चाहते हैं उनको अपोज करें। एक सुझाव है निश्चित रूप से हमें यह देखना होगा कि हम किस प्रकार से अखराजात कम करें इलेक्शन पर। आज इलेक्शन के अंदर हमने सीमा बांध दी है कि इस विधान सभा का एक सीट के लिए इतना पैसा खर्च किया जा सकता है और लोक सभा की एक सीट के लिए इतना पैसा खर्च करना होगा। लेकिन जो पार्टीज अपना कंडीडेट लड़ाती हैं वे भी बहुत ज्यादा खर्च करती हैं अपने कंडीडेट के ऊपर। इस प्रकार से बहुत बड़ी धनराशि चुनाव के जमाने में हमारे बाजार में आती हैं और इससे मुद्रास्फीति बहुत बढ़ती है। इसीलिए हमारी डेमोक्रेसी

[उपसभाध्यक्ष (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) पीठासीन हुए]

में बार-बार इलेक्शन कराने के सिलसिले में काफी दबाव पड़ता है। अब यह समय आ गया है कि हम इस बात पर विचार करें कि हम क्यों नहीं इलेक्शन एक ही दौर में करायें जिससे मुद्रास्फीति न बढ़े।

उपसभाध्यक्ष (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : आपके 35 मिनट हो गये हैं।

श्री सैयद सिब्ते रजी (उत्तर प्रदेश) : मैं समाप्त कर रहा हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : आप औरों की भी सुन लीजिए और इसका उत्तर भी मिल जायेगा। जितने ज्यादा लोग पार्टीसिपेट कर सकें उतना अच्छा है।

श्री सैयद सिब्ते रजी : मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि जो अपना यह विचार रखते हैं कि स्टेट फंडिंग होनी चाहिए, मैं इसका विरोध करता हूं । स्टेट फंडिंग से जो लोग गलत तरीके से पैसा लाकर अपने इलेक्शन पर खर्च करते हैं वे केवल स्टेट फंडिंग पर आधारित नहीं रहेंगे बल्कि उसमें लूप-होल्स भी पैदा होंगे और बहुत से लोग स्टेट फंडिंग का लाभ उठा कर चुनाव में खड़े हो जाया करेंगे । आज जो चुनाव में बड़े-बड़े बैलेट पेपर देखते हैं—एक-एक जगह से 75–75, 80–80 लोग एक सीट के लिए लड़ते हैं । इससे जनता में बहुत सारे भ्रम पैदा हो जाते हैं और इलेक्शन का खर्चा भी बहुत बढ़ जाता है । उनका मकसद भी किसी सदन में पहुंचने का नहीं होता है । वे इंडिपेंडेन्ट केन्डीडेट की हैसियत से खड़े हो जाते हैं। ऐसी सूरत में अगर हम जमानत की जो धनराशि होती है उसको थोड़ा बढ़ा दें तो ठीक रहेगा । इससे इलेक्शन में खर्च भी बहुत होता है और सरकार का भी खर्चा बढ़ जाता है और सबसे बड़ी बात यह है कि मतदाताओं के सामने कोई साफ तस्वीर भी नहीं आती है । अभी यह भी देखने को मिलता है कि केन्डीडेट मर जाते हैं और कभी कभी गलत तरीके भी अपनाये जाते हैं। कहीं कहीं इलेक्शन रोकने के लिए जानबूझकर किसी केन्डीडेट का कत्ल भी कर दिया जाता है ताकि इलेक्शन की तारीख को आगे बढ़ा दिया जाये । इन सब चीजों को रोकने की जरूरत है और इसके लिए कदम उठाने की जरूरत है । 60–70 लोग एक पद के लिए खड़े हो जाते हैं। इसमें सरकार पर खर्च बढ़ जाता है क्योंकि उनको अंगरक्षक देने पड़ते हैं। कभी कभी उम्मीदवार गायब हो जाते हैं। उनको ढूंढना पड़ता है । कहीं ऐसा तो नहीं कि वह मर गया हो । इस प्रकार से बिना वजह सरकार का खर्च बढ़ जाता है । इस अनक्रूपुलस प्रेक्टिस को खत्म करना होगा ।

बहुत सारे मतदाता वोट डालने नहीं निकलते हैं । कभी कभी उनको डिसइलुजनमेंट होता है और नेगेटिव फीलिंग भी होती है । उनके सामने विकल्प नहीं होता है । वे अगर किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं देना चाहते हैं तो उनके सामने कोई विकल्प नहीं होता है। इसलिए पक्ष और विपक्ष के अलावा अगर वे नेगेटिव वोटिंग भी करना चाहते हैं तो इसके लिए भी प्रावधान होना चाहिए । अगर वे समझते हैं कि यह पार्टी ठीक नहीं है और दूसरी पार्टी भी ठीक नहीं है तो वे नेगेटिव वोटिंग भी दे सकते हैं। इससे यह होगा कि जो किसी को भी वोट नहीं देना चाहते हैं वे भी वोट दे सकेंगे । मतदाताओं की कतारों को आप देखें तो आपको पता चलेगा कि उनमें ज्यादातर ऐसे लोग होते हैं जो गरीब हैं या सर्वहारा वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। वे तपती धूप में या ठंड में कतारों में खड़े मिलेंगे। जो लोग ड्राइंग रूम की राजनीति करते हैं और कभी किसी पार्टी की आलोचना करते हैं और कभी किसी दूसरी पार्टी की आलोचना करते हैं, वे जब जजमेंट का मौका आता है तो वोट डालने नहीं आते हैं। ऐसी स्थिति में अगर वोट डालना एक कम्पलसरी ड्यूटी बना दें तो मतदाताओं की संख्या बढ़ सकती है । ऐसी हालत में सब को वोट डालने पड़ेंगे । अभी स्थिति यह है कि अगर 60 या 70 प्रतिशत वोटिंग होती है तो उसके लिए ज्यादा इंतजाम करना पड़ता है और शत प्रतिशत वोटिंग हो जाये तो उसके लिए और भी खर्च की व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसलिए हमें इन सब बातों पर विचार करने की जरूरत है।

आखिरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि पिछले वर्ष हमने देश के महान नेताओं की जन्म शती मनाई । उनमें से मैं दो महान् नेताओं का नाम लेना चाहूंगा । उनमें से एक तो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और दूसरे मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब । मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने एक बार अपनी तकरीर में कहा था कि अगर अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ कोई फरिश्ता कुतुब मीनार के ऊपर आकर मुझ से यह करे कि मैं इस मुल्क की आजादी तुम्हें 24 घंटे में दे

सकता हूं लेकिन तुम्हें हिन्दू-मुस्लिम इत्तिहाद से दस्तबरदार होना पड़ेगा तो मौलाना जी ने अपनी तकरीर को जारी रखते हुए कहा कि मैं अपने मुल्क की आजादी के लिये और ज्यादा इंतजार कर सकता हूं लेकिन हिन्दू-मुस्लिम इत्तिहाद से दस्तबरदार नहीं हो सकता क्योंकि अगर मुल्क की आजादी जल्दी नहीं मिलती तो यह हमारे मुल्क का नुकसान होगा लेकिन अगर इस मुल्क से हिन्दू-मुस्लिम इत्तिहाद खतम हो जाता है तो यह इंसानियत का नुकसान होगा, मानवता का नुकसान होगा । पंडित जवाहर लाल नेहरू ने अपनी पूरी जिंदगी इस मुल्क में सेकुलरिज्म, इस मुल्क में धर्मनिरपेक्षता को मजबूत करने के लिये लगा दी । हमें अफसोस है कि पिछले लोकसभा के चुनाव और जो 8 प्रदेशों में विधान सभाओं के इलेक्शन हुए वहां मस्जिद और मंदिर के नाम पर यह चुनाव लड़ा गया, जाति के नाम पर चुनाव लड़ा गया, धर्म और मजहब के नाम पर चुनाव लड़ा गया, फिरकावाराना जो जजबात हैं उनको उभाड़कर चुनाव लड़ा गया । आज हमारी पोलिटिक्स के अंदर कट्टरता और इस प्रकार की अन्य चीजें आ गई हैं और इससे एक बहुत बड़ा खतरा हमारी डेमोक्रेसी को हो गया है । हिन्दुत्व के नाम पर हो और चाहे इस्लामिक फंडामेंटलिज्म का नाम लेकर हो, आज हमारी बुनियाद, हमारा स्वरूप जो है वह धर्मनिरपेक्षता को कमजोर कर रहा है । ये जख्म जो राजनीति के जरिये लगाये जाते हैं ये हमारे दिलों में लग जाते हैं और ये बहुत गहरे होते हैं। चाहे वे जिस सूरत के भी दंगे हों, चाहे जो भी मारा जाता हो, चाहे हिन्दू मारा जाय, चाहे मुसलमान मारा जाय, किसी की जायदाद लूटी होती हो, चाहे वह सिख हो और चाहे इसाई हो, वे सब भारतीय हैं, हमारे देश के नागरिक हैं। इसलिये जो कम्युनिलिज्म का स्वरूप है, इलेक्शन में कम्युनल का जो स्वरूप हुआ है उसको रोकने की कोशिश करनी होगी क्योंकि बुनियादी तौर पर हमारा सिस्टम है ये चीजें उस सिस्टम को कमजोर करने पर लगी हुई हैं। मुझे खुशी है कि हमारी जूडीशियरी ने कुछ फैसले दिये हैं। जैसे कि बंबई हाई कोर्ट का अभी एक फैसला हुआ जिसमें एक पार्टी के कंडिडेट को इस आधार पर चुनाव से हटाया गया, उसको निलंबित किया गया क्योंकि उसने अपने चुनाव में धर्म का आधार लेकर अपना चुनाव प्रचार किया था। आज हमें ऐसे तत्वों से होशियार रहने की जरूरत है। मुझे आशा है कि हमारे कोर्ट, अदालतें और भी ऐसे फैसले करेंगी। हमें वही करना चाहिये जो हमारे समाज को आगे ले जाय। यह हमारे सेकुलरिज्म, डेमोक्रेटिक और जम्हूरियत के खिलाफ है । आज हमें ऐसे लोगों से होशियार रहने की जरूरत है । जरूरत पड़े तो ऐसे लोगों को आइसोलेट करने की जरूरत है । ऐसे लोगों का हमें सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए। आज देखने में यह आ रहा है कि एसे लोगों ने मुल्क के अन्दर अपने लिये अच्छी जगह बना ली है और उनको ऐसा करने का मौका मिल रहा है। हमें इस बात से पूर्ण रूप से होशियार रहने की जरूरत है । हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिये जिससे हमारी इस बुनियादी परम्परा पर आंच आय हमारा सिस्टम कमजोर हो ।

उपसभाध्यक्ष (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : आप मेहरबानी करके समाप्त करिये ।

श्री संख्या सिब्ते रजी : जब लेजिस्लेटिव कमजोर होता है तो एक्जीक्यूटिव का अपर-हैंड होता है, प्रशासन का अपर हैंड हो जाता है । लोक सभा, राज्यसभा और विधान सभायें ये सब की सब गरिमामय इंस्टीट्यूशंस हैं। एक्जीक्यूटिव की जवाबदेही लोक सभा और विधान सभाओं के प्रति हुआ करती है । अगर एक्जीक्यूटिव की जवाबदेही पूर्णरूप से सक्षम लोगों के सामने नहीं होगी तो इससे डेमोक्रेसी पर से लोगों का विश्वास हिल जाएगा । अगर जनतंत्र पर से, लोकतंत्र पर से लोगों का विश्वास डिग जायेगा तो लोग समझेंगे कि लोकतंत्र एक ढकोसला है और हमारी यह पूरी इमारत जो आलीशान भी है...

[श्री मैथ्यू सिब्ते रजा]

रोशन भी है, जिनकी दवारंख भी है, यह लड़खड़ाती हुई दिखाई देगी। मैं अपनी बात को खत्म करते हुए जवाहरलाल जी को आखिर में कोट करना चाहूंगा। उन्होंने कहा, मैं कोट करता हूं :—

"इतिहास के ऊषा काल में भारत ने अपनी अनंत खोज आरम्भ की। दुर्भेद्य सदियां उसकी विशाल सफलता और उसकी असफलताओं से भरी हुई हैं। चाहे अच्छे दिन आये हों चाहे बुरे, उसने इस खोज को आंखों से ओझल नहीं होने दिया, और न उन आदर्शों को ही भुलाया जिनसे उसे शक्ति प्राप्त हुई। आज हम दुर्भाग्य की एक अवधि पूरी करते हैं, और भारत अपने आप को फिर पहचानता है। जिस कीर्ति पर आज हम आनंद मना रहे हैं वह और भी बड़ी कीर्ति और आने वाली विजयों की दिशा में केवल एक पग है, और आगे जिसे अवसर देने वाली हैं। इस अवसर को ग्रहण करने और भविष्य की चुनौती स्वीकार करने के लिये क्या हममें काफी साहस और काफी बुद्धि है।"

उपसभाध्यक्ष महोदय, यह उद्धरण मैंने उनकी मिडनाइट स्पीच से किया है जो उन्होंने कांस्टीट्यूंट असेम्बली रात के 12 बजे सम्बोधित करते हुए की थी। आज सवाल क्या वक्त की चुनौती पर हम खरे उतरेंगे, लोकतन्त्र को बचा सकेंगे। पार्टी और राजनीति की परिधि से ऊपर उठ कर लोकतन्त्र को बचाने के लिए हम सब मिल कर एक ऐसा माहौल बनाएं जिसमें हमारी जम्हूरियत का यह पौधा हमेशा हमेशा हराभरा रहे। धन्यवाद।

The question was proposed.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA): Shri Raj Mohan Gandhi. This is your maiden speech.

SHRI RAJ MOHAN GANDHI (Uttar Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, I am very grateful to the hon. Member who has initiated this discussion and moved the Resolution. I was stirred by his references to our freedom struggle and by his quotations from Maulana Azad and Pandit Jawaharlal Nehru. If you will allow me, Sir, I would like to say that there were elements in his speech that should have found a place in his Resolution also. His Resolution, if I may read a few words, refers to "recently held elections in some State Assemblies" whereas his speech also referred to recent elections to the Lok Sabha. I also find that he referred to money power in his speech but money power finds no place in his Resolution.

He referred to communalism and I subscribe to all that he has said. But I cannot help mentioning that there was a distinguished leader of a distinguished political party in the Lok Sabha elections who opened his campaign saying, if you vote for my party, you will have Ram Rajya and he opened it at Ayodhya; and he ended his campaign by saying in Hyderabad that it was a great shame that certain State Governments did not have Prophet Mohammad's birthday as a holiday. This double-barrelled communalism is also communalism in my view, unless the hon. Member feels that one kind of cummunalism cancels another kind of communalism. However, I fully subscribe to the spirit of the hon. Member in which he urges all of us to look at the question not from a partisan point of view but from a national point of view.

Now there are many things in this country that we have been ashamed of. One such thing is our poverty—the fact that so many of our people are not clothed, are not housed. Or the fact that in so many of our great cities our rubbish is not cleared. Yes, we have every reason to be ashamed of the way we kill one another in our land today. We are supposed to be a non violent nation but in fact, our per capita murder rate is one of the highest in the world. We have to be ashamed of that. But one thing we can be proud of, Mr. Vice-Chairman—one thing we used to be proud

of perhaps I should say—is the sanctity of the ballot-box in India. It is that thing which enabled us to hold our head with pride in the assemblies of the world and which was the envy of many of the nations around us. It is that thing which, in recent months, has been seriously endangered and threatened. This imposing Chamber, this august hall, is a very precious thing, a sacred place in many ways. But, I submit, Mr Vice-Chairman, that the polling booth is as sacred a place. It is not as magnificent as this. It is very rough and very humble. But, if I may say so, the polling booth is the parent body of our democracy. And we here and even this Chamber are the offspring of that democracy. That polling booth has been invaded today. We take great care to prevent invasions, incursions and intrusions into this House. Everything is carefully checked. Every person who wishes to come has to go through a series of procedures. But that polling booth, the parent body of our democracy, we are unable to guard.

I am grateful, therefore, that the hon. Member has moved this Resolution. I am glad also that he has referred to the freedom struggle in this connection, because I quite agree with him that if we today defend the sanctity of the ballot-paper and the ballot-box with the same fervour with which we fought for our freedom, then we have some hope of correcting the state of affairs. And if the bullet defeats the ballot, if the lathi crushes the voting arm—whether he wins or I win is utterly immaterial—India does lose out. But I would like to submit also that the smashed heads and the bullet-riddled bodies are but the culmination of so many acts that we all indulge in. The untruths, lies and the exaggerations in our election campaigns, the determination to win at any cost, these are the things which ultimately lead to that final result of the bullet killing somebody involved in elections. The Mover referred, Mr. Vice-Chairman, to the number of deaths in the Lok Sabha elections and in the State Assembly elections. A friend of mine was killed in these elections, Lungshim Shaiza, who was a candidate in Manipur. He was addressing a public meeting. Lung Shim Shaija, a marvellous man—his wife Rano used to be a Member of the Lok Sabha—was killed a few weeks ago when he was on a platform addressing an election meeting. He was a candidate. There were so many others whose names I need not take. They belonged to a variety of parties. Vallabhbhai Patel was Congress-I candidate. He was stabbed in the back in Gujarat. It is as shameful a deed as all the other deeds such as the shooting of Sanjay Singh and the death of Raj Karan Singh in another constituency in Uttar Pradesh.

I would like, of course, to refer to the fact that—I am sure the hon. Member is well aware of it—our Government has constituted a Committee to go into electoral reforms. This Committee has been meeting for several weeks. It was constituted in January as a result of the commitment of the National Front and the Janata Dal to electroral reform. And I am absolutely confident that the hon. Member and all of us here—the Member who has moved the Resolution and all the others—will give their suggestions to that Committee. And once the Committee publishes its recommendations, eventually, a bill will be drafted and it should be everyone's hope that there will be a national debate on this issue and that all the detailed suggestions will be examined and discussed. The hon. Member feels that he is against State-funding. I happen to be very much in favour of State-funding. He may be right or he may be wrong, but we all will have a chance to examine the various aspects of that proposal and other Proposals also at a subsequent stage.

I would like readily to admit the fact that my party is not spotless in

[Shri Raj Mohan Gandhi]

this matter of electoral malpractices. I completely admit that fact. The nation, indeed the whole world, is well aware of the events occurring not very far from Delhi. It has brought sadness, pain and indeed shame to us in the Janata Dal. Fortunately, our party was able to take quick steps and to demand a repoll in the whole consituency. And if any further steps on that front are needed, I dare say that they will be taken.

I will not take more time, but merely say this to friends on that side, friends of the other parties and friends on this side that this is a very crucial issue for the future of our land. Apart from demanding the change that we must demand from the other side, it is my duty to go to my party and insist that it regards any attemp at booth capturing to be far worse than any election defeat. I expect the same thing from the other side. And when that happens and we are able to restore the sanctity of the ballot-box and the polling booth, once again Indian democracy will be pride of the world.

SHRI V. GOPALSAMY (Tamil Nadu): You have been so magnanimous as the true grandson of Mahatma Gandhi.

डा० रत्नाकर पाण्डेय (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, हमारे सदन के माननीय सदस्य, श्री सैयद सिब्ते रजी जी जो गैर-सरकारी संकल्पों के कार्य से संबंधित चुनाव सुधारों के विषय में प्रस्ताव लाये हैं, उसके समर्थन में मैं खड़ा हूं। उसमें साफ कहा गया है कि :—

(i) कुछ राज्यों की विधान सभाओं के लिए हुए हाल के चुनावों में, चुनावों और चुनाव प्रचार के दौरान अभूतपूर्व स्तर पर बूथों पर कब्जे, गड़बड़ी, चुनावी हिंसा बाहुबल और साम्प्रदायिकता का प्रदर्शन हुआ ,

(ii) देखी गई ये बुराइयां चिंताजनक है और हमारी शासन व्यवस्था और संस्कृति के लोकतांत्रिक ढांचे के लिए खतरनाक, शर्मनाक और विनाशकारी हैं ,

(iii) यदि इन बुराइयों को समय रहते नियंत्रित नहीं किया गया और रोका नहीं गया तो इससे न केवल लोगों द्वारा अपने मताधिकार का स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से प्रयोग करने पर असर पड़ेगा, बल्कि इससे राजनैतिक प्रणाली और संस्थाओं का कार्यक्रम चौपट हो जाएगा, निर्दोष लोगों की उचित सुरक्षा खत्म हो जाएगी और लोगों का लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास उठ जाएगा,

(iv) यदि इन बुराइयों को समाप्त करने और उन्हें त्यागने के लिए शीघ्र कठोर कदम न उठाये गये तो उससे विश्व में सबसे बड़े और सबसे मजबूत संसदीय लोकतंत्र के रूप में हमारी प्रभावशाली "उपलब्धियां शीघ्र विफल हो जाएंगी ।"

और उन्होंने सिफारिश करते हुए कहा है कि —

(क) सरकार हमारे संसदीय लोकतंत्र के लिए उत्पन्न इस बुराई की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए निर्वाचन आयोग के साथ परामर्श करके तत्काल कारगर उपाय करे,

(ख) वर्तमान चुनाव प्रणाली में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए दीर्घकालिक उपाय सुझाने हेतु एक राष्ट्रीय समिति बनाई जाए जिसमें सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि सुविख्यात समाज शास्त्री तथा राष्ट्रीय गतिविधि के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के प्रमुख नागरिक शामिल हों, और

(ग) चुनाव संबंधी वर्तमान विधि को कठोरतापूर्वक तथा निष्ठा पूर्वक लागू किया जाए ।

यह बहुत ही अहम मुद्दा है और जनतंत्र से जुड़ा हुआ है । जनतंत्र में एक वोट देने का अधिकार राष्ट्रपति को भी है और एक वोट देने का अधिकार किसी भी बालिग मताधिकार प्राप्त व्यक्ति को भी है और मतपत्रों के माध्यम से जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है और जो प्रतिनिधि वह चुनती है वह भारतीय कानून के तहत निर्धारित सीमाओं में रहकर के अपने कार्यकाल तक जन-प्रतिनिधित्व सेवा के माध्यम से जनता की आशा, आकांक्षा, विश्वास, आवश्यकताओं और इच्छा के अनुरूप जनतंत्र की विविध प्रणालियों के संचालन परिचालन और निर्णय करते हैं । यह आज जो कुछ सदन में कहा गया है, मेरे पूर्व नवागंतुक उत्तर प्रदेश के सांसद राज्यसभा के माननीय सदस्य महात्मा गांधी के पौत्र श्री राजमोहन गांधी जी ने जो कुछ कहा है—सांप्रदायिकता पर अंकुश लगना चाहिए, उसी सिलसिले में उन्होंने हमारे नेता श्री राजीव गांधी को उद्धृत किया कि अयोध्या में वे राम राज्य ला रहे थे और हैदराबाद में मोहम्मद साहब का नाम लेकर वे अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात कर रहे थे । मैं कहना चाहता हूं कि शीशे के घर में रहने वाले पक्के मकानों पर पत्थर नहीं फेंकते हैं । आपके यहां वह विष बेल आपने फैलायी है, वह जहरीला पौधा आपने उगाया है कि भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बड़ी साम्प्रदायिक पार्टी है जिसका विश्वास हिंदुत्व में है और जो हिन्दू राष्ट्र की बात करती है, उसके लोकसभा के तीन सदस्य थे और अब 80 से ऊपर उनके सदस्य आए हैं । उनका समर्थन आप ले रहे हैं । दूसरी ओर ऐसे तत्व भी आपके यहां हैं कि राजमोहन गांधी के दादा की समाधि पर प्रधान मंत्री न जाकर मौलाना अब्दुल्ला बुखारी से मिलने जाते हैं और उत्तर प्रदेश से माननीय उपसभाध्यक्ष जी आप भी 6 वर्ष के लिए पुनः इस सदन में और इस आसन पर बैठे हैं ऐसे लोग भी आ गए जो डिक्टेशन पर आए हैं अब्दुल्ला बुखारी की, जो सांप्रदायिकता की आग बोता है । इस्लाम, मजहब और मुसलमान के नाम पर इस देश में सांप्रदायिकता की एक ऐसी आग भड़काना चाहता है जो आग हरेक दिल में जल जाए, हिंसा चारों ओर फैलने लगे और लोग जलने लगे । ऐसी भावना से भरे हुए लोगों की आरती उतारना और उनको सम्मान देना वर्तमान प्रधानमंत्री की किस मनोवृत्ति का द्योतक है, यह कहा नहीं जा सकता है ।

महोदय, राम राज्य की कल्पना गांधी जी ने की थी । "दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा ।" शारीरिक, दैवीय और भौतिक व आर्थिक चिंताएं राम राज्य में किसी को नहीं थीं । अब ऐसा राज्य तो किताबों की बात हो चुकी है । लेकिन वर्तमान में जो कुछ आज चुनावों के नाम पर चल रहा है, जिस तरह से हिंसा भड़कायी जा रही है, जिस तरह से निश्चित रूप से ऐसे तत्व जो गुंडे हैं, अपराधी हैं, असामाजिक कार्यों में लिप्त हैं, जेल के सजायाफ्ता मुजरिम हैं, जिनका कि आतंक और लोहा क्षेत्र में चलता है, जो अपने-अपने क्षेत्रों के दादा हैं ऐसे लोगों को राजनीति में लाने का काम जो जन प्रतिनिधि के रूप में शुरू हुआ है इस देश में, वह इस देश के जनतंत्र को सबसे बड़ा खतरा है । जो दो नंबर का काम करने वाले नव-धनाढ्य लोग हैं, जो राजनीति में साधन लाने का काम करते हैं, ऐसे लोग राजनीति में आए । पिछले चुनाव चाहे लोकसभा के हों चाहे हमारे उत्तर प्रदेश में जिला परिषद् के हों, ब्लाक प्रमुख के हों, जिला परिषद् की सदस्यता के हों नगर पालिका की सदस्यता के हों या विधान सभा के हों ऐसे-ऐसे चेहरे आए, जो आर्थिक अपराधों में सजा-याफ्ता मुजरिम है या भयानक दोषी है, जो नाजायज ढंग से शराब का काम करने वाले हैं, जो नाजायज ढंग से अफीम, गांजा और नशीले पदार्थों कीतस्करी करने वाले हैं, जो काला-बाजारी को बढावा देने वाले हैं, वे आगे आए हैं । ये लोग पहले साधन देते थे राजनीतिक दलों को, बहुत से इंडीविजुअल्स को और जब इन्होंने देखा कि मेरे ही साधन पर अगर इनको एम.पी., एम.एल.ए., जिला-परिषद का अध्यक्ष या मेयर बनना है या नगर-पालिका में आना है तो क्यों न मैं ही आऊं क्योंकि पैसा तो मेरा लगता है । माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं बड़े

[डा० रत्नाकर पाण्डेय]

ही अदब और सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आर्थिक अपराधियों का आगमन राजनीति में हुआ है, जब से उन्हें जन-प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया गया है, उससे हमारे जनतंत्र की वेल्यू-बेस्ट पालिटिक्स, मूल्यों पर आधारित राजनीति, जो त्याग सेवा पर आधारित थी, वह त्याग की भावना भोग की भावना में परिवर्तित होने की और अभिमुख हुई है। इस पर नियंत्रण लगाने की आज बहुत जरूरत है।

उपाध्यक्ष महोदय, बिहार में कहा जाता है कि छह इंच हम छोटा कर देंगे। हमारे अन्य प्रांत के माननीय सदस्यगण इसका अर्थ समझते हैं कि नहीं, मैं कह नहीं सकता। महोदय, बिहार में बहुत से दल जातियों के आधार पर खड़े हैं, कहीं कुर्मियों का दल है, कहीं ठाकुरों का दल है, कहीं पंडितों का दल है, कहीं हरिजनों का दल है, जो अपने सशस्त्र सैनिक रखते हैं। हमने तो मुख्यमंत्री का भी फोटो देखा और कोल फील्ड के सरगना धनबाद के, उनका भी फोटो देखा। वह सोये, बैठे, जागे, कर्म करें, मिले जुलें उनके पीछे हथियारबंद फौज चलती है, खुली हुई कर्बाइन लेकर। इस देश के लिए केवल पंजाब का आतंकवाद ही खतरा नहीं है, केवल कश्मीर का विलगाव-वाद ही खतरा नहीं है बल्कि यह ताकतें भी हैं, चाहे वह छोटा नागपुर के संथाल परगने में हो, चाहे आदिवासी इलाके में हों, चाहे नक्सलाइट हो, चाहे उनसे बदला लेने वाली बड़ी जातियों के समूह हों, वह शस्त्रों से लैस अपनी सेना बनाकर चलते हैं। अगर उनकी इच्छा के प्रतिकूल, मतदान की बात तो छोड़िए, पत्ता भी खड़क जाय, उनकी इच्छा के विरुद्ध एक शब्द भी निकल जाय तो उनको छह इंच छोटा करने की परंपरा और प्रयोग बिहार में शुरू हुआ है यानी गदन उनकी उड़ा दी जाती है और छह इंच छोटे कर दिए जाते हैं। इस तरह से यह आपराधिक प्रवृत्ति हमारे चुनावों में बड़ी घातक होती जा रही है और ऐसी स्थिति उत्पन्न करने वाली है, जो कहीं जनतंत्र को विदाई न दे दे हमारे देश से, यह चिंता हमें सताने लगी है।

उपाध्यक्ष महोदय, धनराशि जितनी सारे मेम्बर्स भरकर देते हैं, इतनी भारी धनराशि, लोकसभा, विधानसभा, सभी चुनावों के लिए होती है। लेकिन इस धनराशि से सैकड़ों गुना, पचासों गुना ज्यादा खर्च की जाती है। सभी दलों के लोग अपनी छाती पर हाथ धर कर कहें कितना खर्च करते हैं। झूठा बिल, बाउचर, जो चुनाव के खर्च का होता है, वह रिटर्निंग आफीसर के सामने पेश किया जाता है। जब हम खुद बेइमान हैं, जो हम धनराशि खर्च करते हैं अपने चुनावों में, उसका सच्चा विवरण, सही खर्च का ब्यौरा नहीं दे सकते तो हम इस देश की जनता से ईमानदार होने की बात कैसे कर सकते हैं, जबकि हमारी कथनी और करनी में भेद है। हम न जाने कितने रुपए चुनाव में खर्च करते हैं, न जाने कितने हजारों रुपए, पेट्रोल पर फूंकते हैं, न जाने कितने लाखों रुपए, टैक्सियों और गाड़ियों के बिल के दे देते हैं, झंडों बैनरों और लिटरेचर पर न जाने कितना खर्च करते हैं, लेकिन हिसाब देते हैं तो वह हिसाब झूठा होता है और उस झूठे हिसाब के आधार पर हम रिटर्निंग आफीसर से चुनाव का सर्टिफिकेट लेकर आ जाते हैं। इन सब चीजों को हमको रोकना होगा।

उपाध्यक्ष, महोदय, अभी रिसेण्टली जो इलेक्शन हुआ है, चाहे लोकसभा का हुआ है या विधानसभा का हुआ है... यह इस बात का इण्डिकेटर है कि मोह में पड़े हुए हैं सब लोग। आप कैसे कह सकते हैं, आप आरोप लगाते थे, जब विरोधी-दल में हैं, कि एक परिवार का शासन चल रहा है इस देश में, परिवारवाद का आरोप हमारे ऊपर लगता था। "स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध, अधिकार है" —जो तिलक का मोटो था, गणेश पूजन के माध्यम से उन्होंने महाराष्ट्र में शुरू किया, जिसकी व्याप्ति सारे देश में हुई, उस मोटो को गांधी जी ने पकड़ा। चाहे नमक सत्याग्रह हो, चाहे असहयोग आन्दोलन हो, चाहे क्विट इण्डिया मूवमेंट हो, चाहे वह दिन हो जब यूनियन जैक इस देश से सैकड़ों वर्षों के बाद उतारकर के तिरंगा झण्डा फहराया गया, अशोक चक्र वाला हमारा राष्ट्रीय ध्वज, तब से लेकर अब तक चुनाव के स्तर पर हम कितने नीचे गिरे हैं

हैं इसका ज्वलन्त उदाहरण 9वीं लोकसभा के चुनावों में और पिछले विधान सभा के चुनावों में देखने को मिला।

इलेक्शन कमीशन की चर्चा मैं करना चाहूंगा। यह एटानिमस बाडी है, यह स्वतन्त्र दायरे में काम करने वाली संस्था है। आडिटर जनरल का आफिस हो, इलेक्शन कमिश्नर का आफिस हो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग हो, यूनिवर्सिटीज हों, इन सबको हमने स्वायत्तता दी है। इन को खर्च के लिये, साधन सरकार देती हो, इनको हैड्स भले ही सरकार देती हो लेकिन इन की स्वायत्तता है और उस स्वायत्तता का फायदा उठाकर के *

*अभी मणिपुर के चुनाव की चर्चा मैं करना चाहूंगा। उस सिलसिले में अपने दल के प्रतिनिधियों के साथ मुझे राष्ट्रपति जी से दो-दो बार मिलने का मौका मिला अपनी शिकायतों के साथ और इलेक्शन कमिश्नर से भी मिलने का मौका मिला, माननीय श्री पेरी शास्त्री जी से और पेरी शास्त्री जी से जब हमने कहा कि हमारे जो चुनाव हुए हैं, उसमें काउंटिंग का जो स्थान था, उस स्थान को आग लगा कर जला दिया और 12 या 16 जगह पर हमारे जीते हुए चुनाव हरा दिए गए और 18 तारीख से वहां राष्ट्रपति शासन का कार्यकाल समाप्त हो रहा था, उसके पहले वहां आप चुनाव करायें, 17 तारीख तक, ताकि न्याय हो स तो पेरी शास्त्री जी ने कहा कि मैं आकाश से चन्द्रमा नहीं ला सकता जबकि दर्जनों सांसद उनके सामने बैठे थे और बड़ी कड़ाई के साथ हमें कहन पड़ा "यू माइंड यूअर बिजनेस", * *ऐसे लोगों को अलग करके किसी दृढ़ इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति को वहां लाना चाहिए ताकि आने वाले दिनों में जो सुधार करने की बात है, वे सुधार हो सकें और पर्सनेलिटी कोई काया नहीं है, हांड-मास और कलर कम्बिनेशन से नहीं बनती है, पर्सनेलिटी एक दबदबा होता है व्यक्तित्व होता है, अहम होता है और जिस व्यक्ति का मन, चित्त, बुद्धि, मन का संकल्प-विकल्प, बुद्धि की निश्चयात्मक शक्ति और होश में रहने की स्थिति में निश्चय करने की क्षमता न हो, ऐसे व्यक्तियों को आप इस देश में चुनावों के सुधार का दायित्व सौंप रहे हैं, यह अनुचित है। मैं आरोप लगाना चाहता हूं आपके इलेक्शन कमीशन पर। अभी अमेठी में चुनाव हुए। माननीय राजमोहन गांधी जी ने वहां से चुनाव लड़ा। अपने दल की ओर से कार्य करने मैं वहां गया था। आपकी शिकायत पर आपके दल की शिकायत पर, वहां इलेक्शन कमीशन ने 104 पोलिंग स्टेशनों पर चुनाव स्थगित कर दिया बिना किसी जांच वगैरह, के, धमकी और दबाव में आकर वहां और फिर चुनाव कराया गया और हमारे माननीय दोस्त जो हैरिडिटरी रूप से वंशानुक्रम से महात्मा गांधी जी से संबंधित है और हमारा देश ऐसा देश है जहां वंशानुक्रम से संबंधित होने पर व्यक्तित्व का निर्माण होता है और तभी कोई बड़ा आदमी बन सकता है।

तो मान्यवर, 104 पोलिंग स्टेशनों पर दुबारा पोलिंग हुई। हमारे माननीय भाई सैय्यद सिब्ते रजी और हमारी बहन अरुणिमा जी भी वहां थीं। तो मान्यवर एक भी पोलिंग स्टेशन पर हमारा दल पराजित नहीं हुआ जबकि जनता दल के कैंडीडेट की जमानत भी जब्त हो गई। *

अभी महम का चुनाव हुआ, सारे देश में एक आंधी आई, पत्रकार मारे गए। लोग मारे गए, दस लोग मरे, पचास घायल हुए, सेना का फ्लैग मार्च हुआ और सरकारी तौर पर कहा गया कि दस लोग मरे लेकिन लोगों का कहना है कि बीस लोग मरे।

महम चौबीसी के उम्मीदवार आनंद सिंह डांगी और हमारे सदन के भूतपूर्व

*Expunged as ordered by the Chair.

[डा० रत्नाकर पाण्डेय]

माननीय सदस्य, वर्तमान में भी शायद हों, ओम प्रकाश चौटाला के बीच में चुनाव था और वहां बूथों पर कब्जा करने के लिए होड़ लग गई और यहां तक होड़ लगी कि हम चौबीसी के चौधरियों ने हमारे भारत के उप-प्रधानमंत्री और उनके सारे परिवार का हुक्का-पानी बन्द कर दिया । खून तो बहा...हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जब पंजाब में खून बहता है तो कन्याकुमारी तक, तीनों समुन्दरों में लहर आती है । आंसू, मरहम, सहानुभूति केवल भाषण देने से नहीं होगी । भाषण के साथ कर्म की जरूरत है और उस कर्म की कमी जब हम पाते हैं तो कष्ट होता है । 28 तारीख को वहां मतदान रूका और सेना बुलाई गई और वहां अजय सिंह, किसी भी माननीय सदस्य का पुत्र...

उपसभाध्यक्ष (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) देखिए, 15 मिनट के 25 मिनट हो गए हैं । रामचन्द्र विकल जी बोलना चाहते हैं, मैं उनको समय देना चाहता हूं... चार बजे इस विषय को आप समाप्त कर देंगे ।

डा० रत्नाकर पाण्डेय : तो मैं कह रहा था कि जिस तरह हमारे सामने घटनायें हुईं, इस सदन का कोई भी सदस्य हो, उस सदस्य का पुत्र हम सबका पुत्र होता है ।, अभय सिंह से मुझे कुछ नहीं कहना है लेकिन जिस तरह से वह पुलिस अफसर की वर्दी में निकाले गए जिस तरह से पोलिंग बूथों पर कब्जा किया गया, जिस तरह से पुलिस और प्रशासन ने साथ दिया, वह एक भयानक चिंता का विषय है । उसके बाद आपके उप-प्रधानमंत्री यह धमकी देते हैं कि अगर ओम प्रकाश चौटाला को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया तो हम डिस्टर्ब कर देंगे आपकी गवर्नमेंट को और दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि देवीलाल जी आर्किटेक्ट हैं और उनकी धमकियों के परिणामस्वरूप चौटाला अभी बने हुए हैं ।

मैं कहना चाहूंगा कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता आज दांव पर लगी हुई है । चुनाव आयोग ने महम के चुनाव में वही फैसला किया जिसका हमको डर था । आयोग ने पूरा चुनाव रद्द कर दिया । आयोग के इस अभूतपूर्व निर्णय से कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े होते हैं । वहां पर पुनः मतदान क्यों नहीं कराया गया जबकि क्यिलरकट प्रदर्शन हुआ, सब कुछ हुआ ? तो एक उप-प्रधानमंत्री के प्रेशर से, वहां चुनाव रद्द कर दिया गया । चुनाव प्रत्याशी की मृत्यु होने पर ही चुनाव रद्द किया जाता है । 27 फरवरी को जब मतदान में धांधली हुई तो उन बूथों पर दोबारा मतदान क्यों नहीं कराया गया ?*

मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं ,सदन में वाणी पर नियंत्रण नहीं होना चाहिए, कि चौटाला के धांधली करने के बाद भी वे साफ निकल गए और चुनाव आयोग ने हम में राज्य सरकार की खासकर पुलिस की विफलता देखी । रिपोर्ट में डी०एस०पी० तक मतपत्रों पर छापे लगाते हुए पकड़े गए । डी०एस०पी० किसके मतपत्र पर ठप्पा लगा रहा था, किसके कहने पर बूथ पर तैनात था ? सारी धांधली मुख्य मंत्री ने कराई और चुनाव आयोग ने कुछ नहीं किया ।

श्री राम अवधेश सिंह (बिहार) : मान्यवर, यही बोलते रहेंगे तो हमें समय कैसे मिलेगा ।...हर बार 45 मिनट का टाइम ले लेते हैं और दूसरों को समय नहीं मिलता है । मेरा भी इससे कंसर्न है ।... (व्यवधान)

डा. रत्नाकर पाण्डेय : आप भी खूब बोलिए । रोक कोई नहीं रहा है । मैं समाप्त कर रहा हूं । *

चुनाव आयोग की कमेटी वहां क्यों नहीं जा सकती थी । वहां पर 21 से में 7 गांवों में पूछ कर इलेक्शन कमीशन के लोग लौट आए । *

माननीय मुख्य मंत्री के पक्ष में कुछ सरपंचों के जाकर जाली हस्ताक्षर कराए गए और उनके आरोप में साफ हुआ कि सब कुछ जाली कराया गया है । उन हस्ताक्षरों की जांच क्यों नहीं की गई ?

जांच दल के बारे में यह भी आरोप लगाया गया है कि सी.आई.डी. के अफसर सफेद कपड़ों में गांवों में भेजे गए । यह बड़ा भद्दा मजाक है जनतंत्र का । आज राजस्थान और उत्तर प्रदेश में जो अपराजित तत्व हैं वे सत्ता के मद में चूर हो कर चुनावों पर अपना पुस्तैनी अधिकार जमाना चाहते हैं और उसको अपनी जागीर समझते हैं । वहां चुनाव आयोग को निश्चित रूप से आगे आना चाहिए और शासन को सारी जांच करनी चाहिए । जनतंत्र में हम इसलिए विश्वास करते हैं कि जनतंत्र में जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के विचार-विमर्श से सारी कार्यवाही होती है लेकिन ये दबाव डालकर या आर्थिक रूप से लोगों को आश्वासन या प्रलोभन देकर कहते हैं कि बोलोगे तो कत्ल कर दिए जाओगे । गांव के गांव घेर लिए जाते हैं और जबरदस्ती वोट डाले जाते हैं । श्रीनगर के चुनाव केन्द्र में यह खौफ रखा गया था कि जो वोट देने जाएगा उसको दफना दिया जाएगा और नतीजा यह हुआ कि वहां एक वोट पड़ा । ऐसी विषम परिस्थितियों में हमारे जनतंत्र को खतरा है और खतरा यह है कि विश्व-सनीयता या निष्ठा बदलने वाले लोग अपनी अपनी आकांक्षा को पूरा करने के लिए इधर या उधर और उधर से इधर दल-बदल को बढ़ावा दे रहे हैं। चाहे गोवा का मामला हो, चाहे मेघालय हो, सब जगह यही हो रहा है । हमने दल बदल कानून बनाकर एक स्थिर परम्परा रखनी चाही कि जो जिस पार्टी में हो वह अपनी निष्ठा से काम करे । लेकिन आपकी सरकार जिस तरह से दल बदल को बढ़ावा देकर कांग्रेस शासित राज्यों को उलटना चाहती हैं, वह जनतंत्र के लिए खतरनाक है । मैं इस सदन के माध्यम से आपको आगाह करना चाहता हूं कि यह आपके लिए भी खतरा है, आपके लोग भी बदल-बदल कर सकते हैं और आपकी सरकार धराशायी हो सकती है । जनतंत्र के जो मूल्य बनाए गए हैं । हमारे नेता राजीव गांधी ने, श्रीमती इन्दिरा गांधी ने जो मूल्य बनाए हैं उनको तहस-नहस मत करिए और चुनाव में सुधार करिए । इतना सुधार करिए कि कोई आंतकवादी, कोई भ्रष्टाचारी, कोई गुंडा, कोई आर्थिक अपराधी जनतंत्र के पूजा स्थल को नष्ट न कर सके ।

श्रीमन्, इन्ही शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया ।

उपसभाध्यक्ष (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : एक सूचना है । पांच बजे प्रधान मंत्री जी अपनी नामीबिया यात्रा पर वक्तव्य देंगे ।

श्री रामचन्द्र विकल (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपका हृदय से आभारी हूं कि आज इस सदन में अंतिम समय पर इस महत्वपूर्ण विषय पर जो सिब्ते रजी ने अपने प्रस्ताव द्वारा जनतंत्र और डेमोक्रेसी की सफलता का जो सवाल उठाया है, यह बहुत ही तात्कालिक सवाल है, खाली पोलिटिकल सवाल नहीं है बल्कि आवश्यक भी है, अनिवार्य भी है ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं उन सौभाग्य-शाली लोगों में से हूं जिन्होंने 1947 के चुनाव लड़े और लड़वाए और तब से मैं खुद चुनाव लड़ता रहा हूं और लड़वाता रहा हूं । 1937 में बूथ कैप्चरिंग कैसे होती है यह कोई सोचता भी नहीं था । कम से कम 5 रुपए लगान देने वाला किसान ही वोटर होता था । उन दिनों सरकारी पक्ष के लोग भी चुनाव लड़ते थे और मुस्लिम लीग भी चुनाव लड़ती थी । 1946 में जब चुनाव हुए तो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार बिना मुकाबले के विजयी हुए । सन 1952 से हमारे यहां चुनाव आरम्भ हुए और आज मैं उसकी पराकाष्ठा देख रहा हूं । बूथ कैप्चरिंग का भी, हिंसा का भी, कंडिडेट का मर्डर होने का भी और लोगों को धमिकयां देने का भी माहौल देख रहा हूं जिसमें बड़ा फर्क आ गया है । मैं यह नहीं कहता कि कौन इसका दोषी है । किसी पार्टी को कहूं, किसी व्यक्ति को कहूं, किसी प्रांत को कहूं तो सब किसी न किसी रूप से डाइरेक्टली और इंडाइरेक्टली इससे जुड़े हुए हैं । यह क्यों हो रहा है ? यह इसलिए हो रहा है कि राजनीति के गिरते हुए मूल्य, डेमोक्रेसी के प्रति होने वाली आस्था, सत्ता, सम्मान और साधन ये राजनीति के द्वारा बढ़ गए हैं । सम्मान जिधर मिलेगा, उधर लोग चले जायेंगे । राजनीति से सम्मान मिलता है

[श्री रामचन्द्र विकल]

तो हर आदमी उसके लिए शक्ति बटोरने लगता है । यहां तक कि जिन्दगी और मौत की लड़ाई लड़कर भी वह राजनीति में आना चाहता है । यह सम्मान, कम हो, समाज में हिंसा कम हो, हिंसक लोगों को सजा मिले, समाज में बूथ कैप्चर करने वालों को सम्मान न मिले, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए । जिसकी बूथ कैप्चरिंग की गई, जहां जबरदस्ती वोट डाले गए उनको सजा मिलनी चाहिए । तो दो तरीके से इसको रोका जा सकता है । एक तो समाज में उनको नीचा स्थान मिले और दूसरे कानून उसके लिए सख्त बनाये जायें । आर्थिक अपराध जो करे उसको समाज में सम्मान न मिले, ऐसी क्षमता भी समाज में होनी चाहिए । सरकार की कानून और दंड व्यवस्था भी ऐसी होनी चाहिए जिससे वे ऐसे कार्य न कर सकें । एक आदमी पर असर पड़ेगा चाहे वह बड़े से बड़ा आदमी क्यों न हो तो उसका असर दूसरों पर पड़ेगा इसके लिए उनको विचार कर लेना चाहिए । तो दो तरीकों से यह व्यवस्था की जा सकती है जिससे यह बुराई रुक सकती है । मैं तो इस विश्वास का रहा हूं कि एक ही मंच से उम्मीदवार भाषण दें । मैं बागपत से चुनाव लड़ता रहा हूं चौधरी साहब मेरे खिलाफ लड़ते थे और मैं उनके खिलाफ लड़ता था। हम कहते थे जो दे उसका भला, जो न दे उसका भी भला । मैंने तो यहां तक कहा कि चौधरी साहब और मैं एक ही मंच से बोलें । पहले वे बोल लें या पहले मुझे बुलवा दें, मुझे कोई संकोच नहीं है । हम बराबर यह कहते रहे कि जो दे उसका भला, जो न दे उसका भी भला । मेरी भावना डेमोक्रेसी के लिए यही रही है । मैं डेमोक्रेसी को गरीबों के लिए सबसे बड़ा राजप्रणाली समझता हूं । दुनिया के देशों में डेमोक्रेसी खत्म हो रही है । भारत में भी डेमोक्रेसी का चिराग टिमटिमा रहा है ।अगर महम जैसी घटनाओं को सोचा जाय, देखा जाय तो लगता है डेमोक्रेसी का चिराग टिमटिमा रहा है। मैं यह अपील करके जाना चाहता हूं सभी पार्टियों से, सभी पक्षों के लोगों से, इसमें सरकारी कर्मचारियों की भूमिका भी ऐसी रही है जिसको नकारा नहीं जा सकता, इलेक्शन कमीशन की भूमिका भी रही है, सरकारी अधिकारियों की भूमिका भी रही है, जनता की भूमिका भी है और पार्टियों की भूमिका तो है ही, सारे लोग दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस डेमोक्रेसी को बचा सकते हैं । अपनी पार्टी में अगर कोई ऐसा काम करता हो तो उसको टिकट न दें । यह तामाम पार्टियों के लेवल पर करना पड़ेगा । यह दंड व्यवस्था जहां मैं सरकार से चाहता हूं, कानून से चाहता हूं वहां पार्टीज के नेताओं से भी अपील करना चाहता हूं कि वह इस प्रवृत्ति को रोकें इसमें हम सबका हित है । हम सब लोग जानते हैं कि कौन कैसे जीत कर आया । चाहे बिहार का उदाहरण ले लें चाहें कहीं और का उदाहरण लें हर पार्टी के लीडर यह जानते हैं कि कौन आदमी किस ढंग से आया । लिहाजा हर पार्टी के लीडर्स से अपील करके जाना चाहता हूं कि डेमोक्रेसी को जीवित रखना चाहते हैं तो ऐसा करना पड़ेगा । क्योंकि इस गरीब पब्लिक के लिए सबसे बड़ी राज प्रणाली है । हम अपने पार्टी लैवल पर यह कोशिश करें कि कोई ऐसा आदमी जो अपराध करने वाला है वह वोट हासिल न कर सके । यह दंड व्यवस्था पार्टी लैवल पर होनी चाहिए ।

मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि हम और आप सब मिलकर डेमोक्रेसी को जीवित रख सकते हैं । हमारी जो नयी पीढ़ी है उसमें डेमोक्रेसी की भावना यूथ पार्लियामेंट के द्वारा लायी जा सकती है और लायी जा रही है । हमारे जो आजकल सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं उन्होंने यूनिवर्सिटीज में यूथ पार्लियामेंट को ले जाने का वायदा किया है । मैं उनको बधाई देना चाहता हूं । अभी तक हायर सेकेण्डरी के बच्चों में यूथ पार्लियामेंट की ट्रेनिंग दी जाती रही है । इसमें कोई लीडर अपोजिशन बनता है, कोई स्पीकर बनता है, कोई विभिन्न विभाग के मंत्री बनते हैं । मैं सन 1971 से देख रहा हूं और इससे संबद्ध हूं । मैंने देखा है कि देश के हर कोने में डेमोक्रेसी की ट्रेनिंग बच्चों में यूथ पार्लियामेंट के द्वारा जो दी जा रही है इसमें इनमें कोई विरोधाभास नहीं देखता । राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय विषयों पर, इन बच्चों की नालिज बहुत है । इन बच्चों के द्वारा डेमोक्रेसी को जीवित रखने के लिए एक उपाय है कि

स्कूल, कालिज और यूनिवर्सिटीज में इसको बहुत तेजी से लायें । मैं तो यह भी कहकर जाना चाहता हूं कि इसके लिए एक विभाग बनाया जाय, एक मिनिस्टर इस का बना दिया जाय अलग से जो बच्चों के द्वारा डेमोक्रेसी को लाने की ट्रेनिंग देने का काम देखे । मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा विभाग होगा इस देश का । मैंने स्कूलों में देखा है कि जब यूथ पार्लियामेंट होती है तो उस समय बच्चे, उनके गार्डियन और टीचर्स होते हैं । हर तरह के लोग होते हैं । हमारे देश की जनता यूथ पार्लियामेंट को जीवित रख सकती है । इस काम को बढ़ाया जाये । इसका एक विभाग अलग से बनाया जाय । मैं समझता हूं इससे डेमोक्रेसी जीवित रह सकती है । मैं गांधी जी की बात कहकर समाप्त करना चाहता हूं : हम लाये हैं तूफान से किश्ती निकाल कर, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल कर । मैं इस आशा के साथ जा रहा हूं कि सभी पार्टी के लोग, सभी दल के लोग इस डेमोक्रेसी को जीवत रखने में अपनी भूमिका अदा करेंगे । सैयद सिब्ते रजी जी ने, जो रेजोलूशन रखा है वह ज्वलंत सवाल आज देश की सबसे बड़ी आवश्यकता है । इस रेजोलूशन को इस सदन में रख कर सैयद सिब्ते रजी जी ने अपना एक अमूल्य सहयोग दिया है डेमोक्रेसी के लिए । मैं फिर बार-बार आपका धन्यवाद करता हूं जो और इस पर माननीय सदस्य बोले– चाहे राजमोहन गांधी बोले, पंडेय जी बोले उनको भी धन्यवाद करना चाहता हूं । हम सब मिल कर डेमोक्रेसी को बचा सकते हैं । यही कह कर मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं ।

4.00 P. M.

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN (Tamil Nadu): Sir, the Home Minister is not here.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA): He will be coming.

DR. NARREDDY THULASI REDDY (Andhra Pradesh): Sir, the subject matter of the Resolution on electoral reforms moved by Mr. Razi is of great importance, especially in the present context. No doubt, ours is the largest democratic country. Since 1952, we have been conducting elections under the existing system of "first past the post". All of us know that there are certain lacunae and loopholes in the present system. Muscle power, atrocities on weaker sections, threatenings, booth capturing and riging are increasing election after election. A certain degree of violence had always marked the electoral process right from 1952. But with 130 persons killed in 1989, this phenomenon has reached dangerous proportions. Criminals were engaged by political parties for their narrow ends. Booth capturing has become a symbol of prestige year after year. The art of winning elections by means other than popular mandate is being perpetrated.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY (Uttar Pradesh): Where is the Home Minister?

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: Sir, we were told that the Code of Criminal Procedure (Amendment) Bill would be taken up at 4 o'clock. All of us are waiting to speak and vote on it. Is there any change?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA): Division is going on in the Lok Sabha. The Home Minister is busy there.

THE LEADER OF THE HOUSE (SHRI M. S. GURUPADASWAMY): Division is going on in the Lok Sabha.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA): Dr. Thulasi Reddy to continue.

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: But we must know this.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: The National Front Government has turend into a "national flop" Government. You said 4 o'clock. I have cancelled every thing to come here.

SHRI M. S. GURUPADASWAMY: In the Lok Sabha, division is going on. That is also work of the Home Minister.

SHRI MADAN BHATIA (Nominated): How much time is allotted to this discussion?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA): Two hours.

DR. NARREDDY THULASI REDDY: Manipulation techniques used to rig the elections will send shock waves in any civilised mind. Unchecked these malpractices are spreading like a cancer in one form or the other in the States.

Regarding money power, this is increasing election after election. The common man is not in a position to contest the elections. For example, in my own constituency of Cuddapah in Andhra Pradesh, in the year 1984, the Congress(I) candidate spent nearly one crore and twenty lakhs of rupees. Of course, he was defeated. The TDP candidate spent nearly half that amount. But all this was black money. They did not show it in their returns. That is the power of the money in the elections.

Regarding bogus voting and impersonation, it is increasing election after election. In fact, in every election in majority of the booths, the afternoon session is full of bogus voting and impersonation. In fact, bogus voting is the main reason for quarrels. So some form of electoral reforms is essential at this juncture.

Sir, simultaneous pool will drastically curtail election expenses. For this certain legal and constitutional changes are needed to have provision for direct elections to Zila Parishads, Gram Panchayats or municipalities on the basis of the same voters' list as for the Lok Sabha and State Assemblies. All representative bodies should have a five year term. In the last week of February and the first week of March, elections to all these bodies should be held simultaneously for five years. No person should be allowed to contest elections to fill more than one seat in a representative body. That is, a person should be prevented from contesting more than one Lok Sabha/Assembly/Gram Panchayat/municipality seat and he should be debarred from contesting simultaneously elections to more than one representative body.

Sir, this would pre-empt unnecessary expenditure by the Government and political parties on bye-elections. In the pre-election year, a freeze should be imposed on bye-elections. A couple of simple amendments to the Representation of the People Act of 1951 can well take care of this. The operation of article 356 by the Centre relating to President's Rule should be restricted. The States' absolute power of supersession of local bodies also should be curbed. Incidentally, Sir, it would mae ballot stealing and booth capturing a little more difficult. It will also reduce the expenditure incurred by the Government, the candidates and the parties and will also help building up of political parties.

Sir regarding electronic voting machines, these were first used in the Parur assembly constituency in Kerala in 1982. But the courts objected to it as the Representation of the People Act did not provide for the use of voting machines in place of ballot papers.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: Sir, I am on a point of order. I would like to know how long we will have to wait so that I can attend to some other work which I have got. We have left everything and come. We must get some estimate.

(*Interruptions*)

SHRI RAOOF VALIULLAH (Gujarat): Sir, I am on a point of order. This morning, the Chairman very categorically said that Special Mentions will be taken up after the Question Hour. When it was pointed out to

him that felicitations to retiring Members were there, he said they will be taken up after the felicitations but before the non-official business. Have we to wait now for the official business also to be over? Then, when will Special Mentions come up?

(Interruptions).

SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE (Maharashtra): Let us continue with this. You cannot disrupt this. ...*(Interruptions)*

SHRI M. S. GURUPADASWAMY: May I just make a submission, Sir? Let this Private Member business be stopped now. We can take up the Special Mentions now and later on we can take up the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA): Mr. Reddy you may continue next time... *(Interruptions)*

SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE: Next time when?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA): Next Friday.

SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE: Next Friday? ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA): Thereafter.

SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE: Mr. Vice-Chairman, please don't announce something which is not possible. The rules do not permit that we can have it on the first Friday. Let us be clear about it so that the discussion comes to an end here. Now the Resolution stands talked out. It will be recorded in the minutes... *(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA): You were right, and I was wrong—unfortunately. Now we take up Special Mentions...*(Interruptions)*...

SHRI SYED SIBTEY RAZI: Sir, I have to submit that I have the right to reply...*(Interruptions)*...

SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE: I have also come prepared to speak, but what can we do? ...*(Interruptions)*... There is business before the House.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: The Government is in total disarray. I do not know why again you have decided that Special Mentions should be taken up and the Cr.P.C. Amendment will not be taken up now. At that time, why did they not tell us that there was a danger that the constitution Amendment Bill might hold up the Home Minister in the other House? So, I am afraid that with this kin of ad-hocism and the non-serious manner in which the Rajya Sabha is being taken, this Government seems to be non-functioning. That is the impression all over the country... *(Interruptions)*...

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): You cannot take up Special Mentions. Otherwise let them take up the Bill in the next session.

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: Yes we will have the Bill in the next session.

SHRI V. NARAYANASAMY: We don't want the Bill to be rushed through ...*(Interruptions)*....

SHRI RAOOF VALIULLAH: I am on a point of order. It was the firm assurance of the honourable Chairman this morning that Special Mentions will be taken up soon after the Question Hour. When it was brought to his notice ...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA): Now we are taking up Special mentions.

SHRI RAOOF VALIULLAH: Thank you.

SHRI MURLIDHAR CHANDAKANT BHANDARE: I am on a point

[Shri Murlidhar Chandrakant Bhandari]

of order. I only want to correct the honourable Member Mr. Subramanian Swamy. He said it is an impression that this Government is non-functioning. It is more than that: it is a fact.

SHRI SYED SIBTEY RAZI. I am on a point of order. Sir, you have arbitrarily curtailed the right of a Private Member to reply to the Resolution moved by him because you have allotted time from 2.30 p.m. to 5 p.m. for further discussion on Private Members' Resolutions. And you are not going to give me on opportunity to reply. My learned colleagues and hon. Members of Parliament have given suggestions on my Resolution. How are you snatching the right of reply? So, you have to decide. You will have to continue it as a special case to the next session.

उपसभाध्यक्ष (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) :देखिये, सुबह माननीय सभापति जी ने घोषणा की थी कि जो गैर सरकारी संकल्प हैं वह चार बजे तक चलेगा । चार बज चुके हैं, उसका समय समाप्त हो चुका है ।

ठाकुर जगत पाल सिंह (मध्य प्रदेश): नेक्स्ट सेक्शन में कर लीजिये ।

उपसभाध्यक्ष (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : ऐसा नियम नहीं है। मैं स्पेशल मेंशन के लिए सुरेश कलमाडी का नाम पुकारता हूं ।

SHRI SYED SIBTEY RAZI: You have to listen to me again, Sir. I have to submit that the Chair gave the ruling that this Private Member's Resolution would go for one hour only.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA): Upto four o'clock.

SHRI SYED SIBTEY RAZI: Till now it has been continued. It is now 4.10 p.m. How can you manage the business like this? Can you at any time call any agenda? This is the right of the House. The House should not be run like this that at any time you can move anything and discuss anything at any time.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: There is one more point about the special mentions. It was made clear that at four o'clock it would not be the special mentions but the Code of Criminal Procedure (Amendment) Bill. So, many people—for example Mr. Kalmadi—are under the impression that after the Code of Criminal Procedure (Amendment) Bill, special mentions will be made. So, he is not present in the House. It is unfair. So, I would suggest that you adjourn the House for half an hour. Let the Home Minister come back and then we can proceed with the Code of Criminal Procedure (Amendment) Bill.

SHRI V. NARAYANASAMY: Otherwise, the Bill can be carried to the next session. We do not want that the Bill should be pushed through. It should be carried to the next session. (*Interruptions*)

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: Otherwise it will be unfair to those who want to make special mentions. (*Interruptions*)

SHRI V. NARAYANASAMY: The two Bills are very important. The Members have a right to speak. Therefore, they should be carried to the next session.

SHRI SYED SIBTEY RAZI: This is snatching of the right of the Private Member. You have allocated Friday for the Private Members' Business. In this case you are going to curtail the rights of a Private Member.

उपसभाध्यक्ष (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : यह सदन में आज सहमति से हुआ है।

SHRI SYED SIBTEY RAZI: No, Sir, The understanding given by the

Chair is that it will be continued in the next session.

PROF. CHANDRESH P. THAKUR (Bihar): For a minute, a point of order, Sir. Several things have happened, and they must go on record:

Number one, the Home Minister has taken the Rajya Sabha for a ride. He has been totally casual, and the Government should reprimand the Home Minister or the Home Minister should come and apologise at the appropriate time.

Number two, the privilege of the Private Member to move a Resolution and that of other Members to participate and the right of the Mover of the Resolution to reply have been jeopardised by mismanagement by this Government so far as the time for the decission of the Private Member's Resolution is concerned.

Third, the solemn assurance of the Chairman has been violated so far as the raising of the special mentions is concerned. It is very important that a number of Members are retiring today. They will not be available for the next session of this House. Their privilege to make a special mention on an issue of public importance which, in their judgement, should be made before they retire, has been denied.

So, on all these counts the vacillation of the Government must go on record. The Leader of the House or the Prime Minister or the Home Minister must come and clarify and apologise. (*Interruptions*)

DR. RATNAKAR PANDEY: A point of order, Sir. One minute, Sir.

उपसभाध्यक्ष (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : आप पा बैठ जाइये ।

डा० रत्नाकर पाण्डेय: मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है ।

उपसभाध्यक्ष (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : एक प्वाइंट आफ आर्डर हो चुका है । प्वाइंट आफ आर्डर पर प्वाइंट आफ आर्डर नहीं होता है ।

The Leader of the House.

SHRI M. S. GURUPADASWAMY: Sir, there is neither mismanagement ...(*Interruptions*)

You seem to have no patience at all. You must cultivate patience also.

There is no mismanagement of the business of the House on the part of the Government. I explained the practical difficulty.

It is true that the Chairman announced that at four o'clock this debate should end and some other business should be taken up.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: Not some other but the Code of Criminal Procedure (Amendment) Bill.

SHRI M. S. GURUPADASWAMY: Just a minute. Why are you so impatient. Unless you hear me completely, you cannot understand me. You should not interrupt me like this. (*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA): Yes, Mr. Mufti Mohammad Sayeed.

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI MUFTI MOHAMMAD SAYEED): Sir, ...(*Interruptions*)

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, I hope you are calling Special Mentions.

SHRI M. S. GURUPADASWAMY: He has already called the Home Minister. (*Interruptions*)

SHRI RAOOF VALIULLAH: Mr. Vice-Chairman, you call special mentions. It is a firm commitment of the Chairman. (*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN: What is your point of order?

SHRI RAOOF VALIULLAH: My point of order is that you are flouting the hon. Chairman's commitment. He said that the Special Mentions must have precedence today.

SHRI M. S. GURUPADASWAMY: May I say we are not barring anything at all. (*Interruptions*) We are not by-passing anything in the House today. We are prepared to sit till midnight. Let the official business go on. (*Interruptions*)

RESOLUTION DISAPROVING CODE CRIMINAL PROCEDURE (AMENDMENT) ORDINANCE, 1990

AND

THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (AMENDMENT) BILL, 1990.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA): Now we take up the Statutory Resolution disapproving the Code of Criminal Procedure (Amendment) Ordinance, 1990 and the Code of Criminal Procedure (Amendment) Bill, 1990. These will be discussed together.

I request Mr. Subramanian Swamy to move the Resoluion.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY (Uttar Pradesh): I move:

> That this House disapproves of the Code of Criminal Procedure (Amendment) Ordinance, 1990 (No. 1 of 1990), promulgated by the President on the 19th February, 1990.

SHRI A. G. KULKARNI (Maharashtra): Sir, I am on a point of order.

SHRI V. NARAYANASAMY: (Pondicherry): Sir, I am on a point of order.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA): Mr. Kulkarni is on a point of order.

SHRI V. NARAYANASAMY: I am also on a point of order.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA): I have called Mr. Kulkarni.

SHRI V. NARAYANASAMY: All right.

SHRI A. G. KULKARNI: Sir, my point of order is this. The Leader of the House is also here. I say that this business is being rushed through without any recourse to any convention of this House. Usually this session starts in early February or by 20th of February. But this session started late. But leave that point aside. Now the next session they have called on 30th April. It was the same Mr. Gurupadaswamy, Mr. Upendra and Mr. Advani who raised many points of order on the efforts by the Treasury benches to shorten the session.

SHRI JAGESH DESAI (Maharashtra): They have no mind. They do not know how to run the session.

SHRI A. G. KULKARNI: The right for a session is ours. We have been elected as Members. Our right is to debate and discuss every problem that we are facing. Now, take Kashmir. It is like Nero fiddling when Rome is burning. What is happening in Kashmir? There has been no intensive discussion on it. The people will ask us what did we do? Would we say that we heard only Mr. Mufti Mohammad Sayeed?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA): What is your point of order?

SHRI A. G. KULKARNI: My point of order is I am not going to allow a discussion on this unless we finish the Special Mentions. Your next session must start on 23rd April. Otherwise this cannot go on today. We will not cooperate.

SHRI V. NARAYANASAMY: I am on a point of order. Mr. Vice- Chairman, Sir, before the Home Minister